जन–सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री आदिनाथ बल्क कैरियर, द्वारा प्रस्तावित सेण्ड़स्टोन एवं खण्ड़ा (मेसनरी स्टोन) खनन परियोजना प्लॉट संख्या 69/2022 (प्लॉट संख्या 69), खनन पट्टा क्षेत्रफल 1.0 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 1,06,996 TPA (ROM) मय कुल कलस्टर क्षेत्रफल– 16.0 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 18,54,504 TPA (ROM) निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव_आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई दिनांक 30/05/2025 समय प्रातः 11:00 बजे स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी का कार्यवाही विवरण :–

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानो की अनुपालना में जिला कलेक्टर बून्दी के पत्र संख्या/55 दिनांक 18/04/2025 (संलग्नक–अ) के अनुक्रम में दिनांक 30/05/2025 समय प्रातः 11:00 बजे स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी राजस्थान में मैसर्स श्री आदिनाथ बल्क कैरियर, द्वारा प्रस्तावित सेण्ड़स्टोन एवं खण्ड़ा (मेसनरी स्टोन) खनन परियोजना प्लॉट संख्या 69/2022 (प्लॉट संख्या 69), खनन पट्टा क्षेत्रफल 1.0 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 1,06,996 TPA (ROM) मय कुल कलस्टर क्षेत्रफल 16.0 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 18,54,504 TPA (ROM) निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) बून्दी, जिला बून्दी, राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गयीः–

1. श्री सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) बून्दी, जिला बून्दी
2. श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी
3. श्री हर्षित शर्मा तहसीलदार तालेड़ा, जिला बून्दी

जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारीगण/ क्षेत्रवासी/ग्रामवासी व अन्य का उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक–ब)। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र "द इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 25/04/2025 और स्थानीय समाचार पत्र "जननायक" में दिनांक 25/04/2025 को आम सूचना निर्धारित जनसुनवाई से 30 दिन पूर्व प्रकाशित की गई थी, समाचार पत्रों की फोटो प्रतियाँ संलग्न है (संलग्नक–स)। जनसुनवाई की विडियो रिकोर्डिंग सी0डी0/डी0वी0डी0 एवं फोटोग्राफ संलग्न है (संलग्नक–द)।

श्री सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी, जिला बून्दी की अनुमति से जनसुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, बन्दी

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जन–समूह को जनसुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जनसमूह से यह अपील की कि वे परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जायेगी उसे ध्यान से सुने तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव/शिकायत/अक्षेप/आपत्ति हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दे जिसमें आपका नाम, पिता जी का नाम, गाँव आदि बतावें साथ ही अपना सुझाव /शिकायत/आक्षेप/आपत्ति जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते है।

उन्होने यह भी अवगत कराया कि इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव या शिकायत दी जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा इस जनसुनवाई की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हम आपके लिखित/मौखिक रूप में प्राप्त सभी सुझाव/शिकायत/अक्षेप/आपत्ति को कलमबद्ध करके वीडियो रिकोर्डिंग मय फोटोग्राफ्स के साथ कार्यवाही विवरण **(Minutes of Meeting)** बनाकर नोटिफिकेशन के अनुपालना स्वरुप राज्य स्तर पर्यावरण समाद्यात निधारण प्राधिकरण **(SEIAA)** राजस्थान को अग्रिम कार्यवधि हेतु प्रेषित करेंगे।

तत्पश्चात् श्री शिव कुमार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी ने परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित सेण्ड़स्टोन एवं खण्ड़ा (मेसनरी स्टोन) खनन परियोजना मय क्लस्टर के बारे में प्रजेन्टेशन के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को अवगत कराने हेतु आमंत्रित किया।

इसके पश्चात मैसर्स श्री आदिनाथ बल्क कैरियर के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स कोगनिजेन्स रिसर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, के प्रतिनिधि **कल्पिता व्यास** ने प्रस्तावित सेण्ड़स्टोन एवं खण्ड़ा (मेसनरी स्टोन) खनन परियोजना मय क्लस्टर के बारे में उपस्थित जनसमुदाय को विस्तृत जानकारी पावर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से दी गयी जिसमें खनन परियोजना का परिचय देते हुए खनन पटटे की स्थिति/जगह, खनिज, खनन पट्टा क्षेत्र, उत्पादन क्षमता, क्लस्टर पट्टा क्षेत्रफल, कलस्टर की कुल उत्पादन क्षमता, क्लस्टर में आने वाली खनन पट्टों की जानकारी दी। उन्होंने परियोजना के क्लस्टर प्रमाण–पत्र, परियोजना का क्लस्टर नक्शा, क्लस्टर में आने वाली अन्य खनन ईकाइयों का विवरण, सीमांकन रिपोर्ट, खसरा नक्शा, कार्यालय खनि0 अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान, खण्ड प्रथम बून्दी द्वारा जारी मंशा पत्र एवं खनन पटटा अनुमोदन आदेश, अनुमोदित माइनिंग प्लान, परियोजना का अरावली प्रमाण–पत्र, कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी द्वारा जारी पत्र, कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा द्वारा जारी पत्र, टोर प्रमाण–पत्र, समाचार पत्र विज्ञापन, क्लस्टर परियोजना का स्थान, क्लस्टर की गूगल तस्वीर, माइनिगं का तरीका, अध्ययन क्षेत्र का 10 किमी बफर नक्शा, संपर्कता जानकारी, क्लस्टर के चारो ओर का विवरण, खनन क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति, वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, खनन क्षेत्र में जल की गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति, जल की गुणवत्ता का प्रबंधन के उपाय, खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की वर्तमान स्थिति, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, वृक्षारोपण/हरित पट्टी का

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

विकास, श्रमिकों के लिए बजट आवंटन, ईएमपी कार्यान्चयन/पर्यावरण संरक्षण के लिए किये जाने वाले कार्य आदि से सम्बधित जानकारी प्रदान की गई।

तत्पश्चात् श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी ने उपस्थित जनसमुदाय को अपने सुझाव/विचार/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमन्त्रित किया। उपस्थित जन–समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझाव/विचार/आपत्ति/आक्षेप का विवरण निम्नानुसार है:–

1. श्री बंशीलाल पुत्र लालू जी, ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी:– ने बताया कि खसरा नं. 774 व 775 मे उनकी जमीन हैं। वह वहा वर्षो से खेती कर रहे हैं। इस जमीन पर उनका कब्जा हैं।
2. श्री रामलाल पुत्र बालाराम, ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी :–ने बताया कि गाँव में पानी की समस्या हैं। चम्बल परियोजना से नल में पानी 4 दिन के अन्तराल के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए आता हैं। हम इस गाँव में 50 साल से रह रहे हैं लेकिन पट्टा नही बन रहा हैं। पंचायत मे नियमित बैठक नही होती हैं।

परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार श्री निमिश सीधवी द्वारा अवगत कराया गया कि:–

1. खसरा संख्या 775 सिवाय चक जमीन हैं, यह खनन पट्टा सरकार द्वारा करायी गयी खुली निलामी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा आवंटित किया गया हैं।
2. गाँव में पीने के पानी की समस्या के लिए खनन पट्टा धारी द्वारा परियोजना में रूपये 6 लाख का प्रावधान रखा गया हैं। हर वर्ष परियोजना प्रस्तावक रूपये 06 लाख पीने के पानी की समस्या के दूर करने के लिए खर्च करेगें।

उक्त जनसुनवाई के दौरान/पहले/बाद इस परियोजना से सम्बधित कोई लिखित सुझाव/शिकायत/अक्षेप/आपत्ति प्राप्त नही हुई।

अन्त में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला महोदय की अनुमति से जन–सुनवाई की कार्यवाही सधान्यवाद समाप्त की गयी।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

(शिव कुमार)
क्षैत्रिय अधिकारी,
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बून्दी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बून्दी
जिला बून्दी

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति० जिला कलक्टर एवं
अति०जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

Gen. 57

कार्यालय जिला कलक्टर बून्दी

संख्या – 55   दिनाँक 18/04/2005

आदेश

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बून्दी के पत्र क्रमांक RPCB/RO BUNDI/PUB-125/ 135 date 04-04-2025 से अवगत कराया कि आवेदक मैसर्स आदिनाथ बल्क केरियर ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सैण्डस्टोन एण्ड मेसेनरी स्टोन की पर्यावरणीय मंजूरी हेतु सार्वजनिक सुनवाई के लिए सैण्डस्टोन एण्ड मेसेनरी स्टोन कलस्टर प्रोजेक्ट एरिया 16.0 हैक्टेयर है। एम0एल0 संख्या 69/2022 (खसरा संख्या 69) रकबा 1.00 हैक्टेयर प्रस्तावित क्षमता 1,06,966,0 टीपीए है, कुल कलस्टर में खसरा संख्या 69,67,70,79,80,73,72,83,76,58,87,59,93,66,67,81, व 88 क्षमता 18,54,504,00 टीपीए गांव धनेश्वर तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। के संबंध में भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के सन्दर्भ में परियोजनाओं के लिए जनसुनवाई आवश्यक बताते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए जनसुनवाई रखने हेतु जिला कलक्टर या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधी नियुक्त करते हुये कम से कम 40 दिवस का समय (तिथि) का मार्जिन रखने व सुनवाई हेतु स्थल निर्धारित रखने हेतु निवेदन किया है।

अतः पर्यावरणीय आपत्ति/अनापत्ति बाबत जनसुनवाई करने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) को जिला कलक्टर का प्रतिनिधि मनोनीत किया जाता है तथा साथ ही तहसील एवं पंचायत समिति तालेडा(बून्दी) के राजीव गांधी सेवा केन्द्र, धनेश्वर पर दिनांक 30.05.2025 को समय 11.00 ए0एम0 सुनवाई हेतु स्थान व समय निर्धारित किया जाता है।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बून्दी EIA के अनुसार गजट में प्रकाशन करवाकर आपत्तियॉ प्राप्त कर जनसुनवाई का नियमानुसार प्रचार–प्रसार करने की कार्यवाही करेगें।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर,बून्दी

क्रमॉक – प.12–12(03)राजस्व/2025/3001–09   दिनाँक 18/04/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद,बून्दी
2. अति0 जिला कलक्टर,बून्दी
3. उपखण्ड अधिकारी,तालेडा
4. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,बून्दी
5. विकास अधिकारी,पंचायत समिति तालेडा/तहसीलदार,तालेडा
6. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धनेश्वर पंचायत समिति तालेडा
7. मैसर्स श्री आदिनाथ बल्क केरियर, प्रसन्न जैन, बी–38 बल्भ नगर जिला कोटा
8. आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर,बून्दी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बून्दी (राज.) प्राप्ति क्रमांक 59 दिनांक 21/4/25

conversion,2022

Document certified by AKSHAY GODARA <dm-bun-rj@nic.in>
Digitally Signed by AKSHAY GODARA
Designation : Collector & District Magistrate
Date :18-04-2025 12:05:55

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक : ब

मैसर्स श्री आदिनाथ बल्क कैरियर, प्लॉट संख्या 69/2022 (प्लॉट संख्या 69), निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी, क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर, प्रस्तावित खनन क्षमता 1,06,996.0 **TPA (ROM),** मय क्लस्टर कुल क्षेत्रफल 16.0 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 18,54,504.0 **TPA (ROM)** की पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई में दिनांक 30.05.2025 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं नागरिको का उपस्थिति पत्रकः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Sudarshan Singh Tomar	ADM Bundi	[signature]
2	Shiv Kumar	R.O. RSPCB, Bundi	[signature]
3	Harshit Sharma	TDR TALERA	[signature]
4	Nimish Singhwi	Consultant	[signature]
5	Kalpita Vyas	Cognizance Research India Pvt Ltd	Kalpita
6	Anita	" "	Anu
7.	Raghuveer	Kota	[signature]
8	राजेन्द्र	धनेश्वर	राजेन्द्र
9	चेतन	धनेश्वर	चेतन
10	मुजांदेवी	धनेश्वर	[thumb impression]
11	Deepika Nawan	J.A GP Dhaneshwar	[signature]
12	ओमप्रकाश		ओमप्रकाश
13	Shokeen Meena	Bundi	[signature]
14	कमलेश शेखर	(सचिव)	कमलेश शेखर
15	Anurag Meena	Revenue	[signature]
16.	Arpita Kota	Patwari Dhaneshwar	Arpita
17.	कमला बाई	धनेश्वर	[thumb impression]
18	धापू बाई	धनेश्वर	धापू
19	सीमा टेलर	आं. वा. कार्य.	सीमा टेलर

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
20	Ronak Pareta	Dhaneshwar	Ronak
21	Gaurav Kumar Pareta -	Ganeshganj. Th. Piplda District	[signature]
22	श्रीकान्त मीणा	VDO धनेश्वर (PRD)	[signature]
23	हीरालाल गुर्जर	उपसरपंच / धनेश्वर	हीरालाल
24	शिवराज	गाँव धनेश्वर	शिवराज
25	Prakash Pareta	डाबी	Prakash
26	Suresh Goswami	डाबी	Suresh
27	JAGDISH [illegible]	कोटा	[signature]
28	सुरज सुमन	डूलेत	[thumb impression]
29			
30	रामु	धनेश्वर	रामु
31	इन्द्रा बाई	धनेश्वर	इन्द्रा बाई
32	तारा	धनेश्वर	तारा
33	रामकंवरबाई	धनेश्वर	[thumb impression]
34			
35	बिसनुबाई	धनेश्वर	बिसनु
36	कविता	धनेश्वर	कविता
37	सन्तु	धनेश्वर	[thumb impression]
38	काली	धनेश्वर	काली
39	मीना	धनेश्वर	मीना
40	कुवी [illegible]	धनेश्वर	कुवी
41	कान्ता	धनेश्वर	कान्ता
42	काली		काला
43	बनानी	धनेश्वर	बनानी
44	बीमली	धनेश्वर	बीमली
45	रेशमा	धनेश्वर	रेशमा

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
46	अनिता	धनेश्वर	अनिता
47	कमला	धनेश्वर	कमला
48			
49	कैलाश	धनेश्वर	कैलाश
50	अनारबाई	धनेश्वर	अनारबाई
51	धनराज	~~छोटूलाल~~ धनेश्वर	धनराज
52	छोटूलालजी	धनेश्वर	छोटूलाल
53	रामती बाई	धनेश्वर	[thumb impression]
54	राजू बाई	धनेश्वर	राजू
55	सीताबाई	धनेश्वर	सीता
56	बिमला बाई	धनेश्वर	[thumb impression]
57	रामफूल	धनेश्वर	[thumb impression]
58	धापूबाई	धापू बाई धनेश्वर	धापू
59	भैरवीबाई	धनेश्वर	[thumb impression]
60	भूरी बाई	धनेश्वर	[thumb impression]
61	Dileep Kumar Meena	JEE, RSPCB, Bundi	[signature]

डियंस ने कोटा पुलिस सौंपे ब्रेथ एनालाइजर

गा

ा

कोटा शहर में टा सिटी न और अशोक 10 किए। हर की र और वाहन रने में इस डियंस ल का इस त्वपूर्ण र की सेफ्टी , पूर्व -साथ जैन की ल के कोटा

शिक्षा नगरी है, यहां देश भर के युवा आते हैं। यदि हम उन्हें सड़क सुरक्षा के मायने समझा पाए, तो यह संदेश दूर-दूर तक जाएगा। हमारा लक्ष्य सिर्फ उपकरण देना नहीं, बल्कि ज़िम्मेदार ड्राइविंग की संस्कृति का प्रसार करना है।' सड़क दुर्घटनाओं में अधिकांश मामले नशे में वाहन चलाने के कारण होते हैं। ये ब्रेथ एलाइसर्स न केवल पुलिस को अपराधियों की पहचान करने में मदद करेंगे, बल्कि लोगों में यह संदेश भी फैलाएंगे कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल गैरकानूनी है और अन्य के जीवन के लिए भी खतरनाक है।

संगठन के रोड सेफ्टी संयोजक महिमन राठी ने बताया कि सड़क सुरक्षा यंग इंडियंस का एक स्थायी प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत हम नियमित रूप से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज का यह उपकरण हस्तांतरण समारोह हमारे निरंतर प्रयासों का ही एक हिस्सा है।

सिटी पुलिस अधीक्षक दुहन ने उपकरण प्राप्त करते हुए यंग इंडियंस के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह पहल शहर की सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस विभाग इन उपकरणों का सर्वोत्तम उपयोग करेगा और शहर में नियमित जांच अभियान चलाएगा। ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक अशोक मीना ने भी विचार रखे।

दों को श्रद्धा-ति किए

भावना को उजागर करता मिशन द्वारा प्रति वर्ष 24 पावन स्मृति में श्रद्धा से न केवल पुण्य स्मरण का सौहार्द और एकत्व की है। इस अवसर पर मिशन श्रृंखला आरंभ होती है, जो जागृति का स्वरूप बनकर हती है। इस वर्ष भी, संत पूरे भारतवर्ष की लगभग दान शिविरों की अविरल ी स्थित ग्राउंड नंबर 8, क्तदान शिविर विशेष रूप स्वेच्छा भाव से रक्तदान के लोक-कल्याणकारी आगे बढ़ाया।

रक्तदान

निगम परिसर में बांधे पानी के परिंडे

जननायक संवाददाता

कोटा। भीषण गर्मी को देखते हुए गुरुवार को नगर निगम उत्तर के आयुक्त अशोक त्यागी ने निगम परिसर में पक्षियों के लिए पानी से भरे परिंडे बांधे।

आयुक्त त्यागी व उपायुक्त महावीर सिंह सिसोदिया ने प्रशासनिक भवन में छायादार जगहों पर पक्षियों के लिए पानी से भरे परिंडे बांधे और संबंधित को निर्देशित किया कि शहर में मौजूद विभिन्न उद्यानों के साथ-साथ छायादार सार्वजनिक स्थानों पर भी परिंडे बांधे जाएं, जिससे भीषण गर्मी के मौसम मे पंछियों को पानी की कमी ना हो। साथ ही इस मुहिम के तहत कोटा उत्तर क्षेत्र में छायादार स्थानों पर परिंडे बांधने के लिए लगभग 500 परिंडो की व्यवस्था की है। डेएनयूएलएम की जिला प्रबंधक हेमलता गांधी को सामाजिक संगठनों व स्वंय सहायता समूह के साथ मिलकर कोटा उत्तर क्षेत्र के विभिन्न छायादार स्थानों पर पक्षियों के दाने-पानी की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया।

तेल निष्कर्षण इकाइयों के निर्माण पर मिलेगा अनुदान

जननायक संवाददाता

कोटा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-तिलहन मिशन प्रारम्भ किया गया है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि योजना के दिशा-निर्देशानुसार 10 टन क्षमता की तेल निष्कर्षण इकाइयों की स्थापना व प्रसंस्करण के लिए मशीनरी और उपकरण के लिए परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9 लाख 90 हजार तक की सहायता राशि सरकारी, निजी उद्योगों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) व सहकारी समितियों को देय है। तेल निष्कर्षण, प्रसंस्करण इकाई की स्थापना में मूल्य श्रंखला भागीदार (वीसीपी) को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही, मिशन के तहत प्रथम स्थापित होने वाली तेल निष्कर्षण इकाइयों का

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-135/140 Date : 21.04.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स श्री आदिनाथ बल्क कैरियर प्लॉट संख्या 69/2022 (प्लॉट संख्या 69) मय कलस्टर निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं खण्ड़ा (मेसनरी स्टोन) माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **मैसर्स श्री आदिनाथ बल्क कैरियर**, प्लॉट संख्या 69/2022 (प्लॉट संख्या 69), खनन क्षेत्र 1.0 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 1,06,996.00 TPA मय कुल कलस्टर क्षेत्र 16.0 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 18,54,504.00 TPA निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी सेण्डस्टोन एवं खण्डा (मेसनरी स्टोन) माइनिंग प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना बाबत् पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण प्राधिकरण / राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्याकन समिति, जयपुर, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. चूंकि, **मैसर्स श्री आदिनाथ बल्क कैरियर**, द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -

(i) कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी
(ii) कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला बून्दी
(iii) कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला बून्दी
(iv) ग्राम पंचायत, धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी
(v) उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी
(vi) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
(vii) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
(viii) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर
(ix) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी
(x) कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला बून्दी

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र क्रमांक 55 दिनांक 18.04.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 30.05.2025 (शुक्रवार) को स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में समय प्रातः 11:00 बजे** उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में भी प्रस्तुत कर सकते है।

भवदीय
(शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बूंदी

प्रथम एवं दू

जननायक संवाददात

कोटा। रोटरी क्लब को संचालित देवनारायण रोटरी प स्कूल में गुरुवार को वर्षिक प वितरण समारोह का आयोजन गया। समारोह में विशिष्ट अ विपुल साबू एवं रोटरी क्लब के अध्यक्ष मुकेश व्यास ने प्रथ दूसरे स्थान पर रहे ब बालिकाओं को परितोषिक सर्टिफिकेट प्रदान कर प्रोत किया। सभी बच्चों को स्वीट् वितरण किया गया।

स्कूल समिति के स रोटेरियन एससी जैन ने बताय

आवश्यकता
मिलेनियम शिक्षक प्रशिक्ष महाविद्यालय अकलेरा, जिला- झालावाड़ (राज.
पद : व्याख्याता
विषय : इतिहास और रसायन शास्त्र
योग्यता : NCTE एवं कोटा विश्वविद्या के नियमानुसार
-: सम्पर्क :-
9461148901, 94143094
---: Mail :---
millenniumcollege2006@gmail.c

कार्याल
फोन नं. 074
एफ 11 / नीलामी / 2025 /
ई-ऑक्श
प्राधिकरण द्वारा ई-ऑक्शन शैक्षणिक में भूखण्ड संख्या - 0 समीप स्थित है। ई-ऑक्शन क 16.05.2025 को दोपहर 02 बजे समाप्त हो जायेगा (अन्तिम मिनट में स्वतः बोली विस्तार होने की स्थिति में) नियम/शर्तें अन्य जानक Lsg.rajasthan.gov.in/uitkota udhonline.rajasthan.gov. कार्यालय समय में प्राधिकरण उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती दूरभाष 0744-250053 (Helpline For Online Suppor 01412560211 पर सम्पर्क क
खसरा नं. 188,190,194
196 ग्राम दौलतगंज उर्फ नयागांव
शैक्षणिक में भूखण्ड संख्या -
क्षेत्रफलः - 1700 वर्गमीटर
प्रारम्भिक नीलागी दर- 11000 / - प्र.व.मी
आरक्षित दर- 7000 / - प्र.व.मी.
धरोहर राशि- 374000 /-

dispute. "It must be noticed that an election petition has serious repercussions and by law it is mandated that an election petition requires careful drafting and the present petition does not evidence attention to necessary details and is drafted in a very casual manner," the HC said.

overstaying in the state. Speaking on the terror incident, he said the attack was condemnable, heinous, and inhuman. He added that the central government should ensure such incidents do not recur, and that terrorists must be eliminated. **PTI**

Geneva and pay ... damages. Gokhale was directed that the apology be posted on his X handle, which should be retained for "six months from the date it is put out", as well as publish it in a leading English daily in four weeks.

retal amount".

Accordingly, the court directed that a warrant be issued for attachment of salary, which Gokhale has declared as ₹1.90 lakh per month, under the provisions of the Code of Civil Procedure.

NCST seeks action taken report on tribal man's death during eviction drive in Rourkela

PRESS TRUST OF INDIA
BHUBANESWAR, APRIL 24

THE NATIONAL Commission for Scheduled Tribes (NCST) has sought an action taken report from the authorities concerned into the death of a tribal man during a recent eviction drive in Odisha's Rourkela city, an official statement said.

A 35-year-old tribal protester, identified as Ettua Ekka from Barkani village in Sundargarh district, died allegedly after coming under an excavator engaged in the construction of a railway line to the Rourkela Steel Plant (RSP) on April 19.

Taking suo-motu cognisance of the incident, the NCST has issued notices to the district collector, superintendent of police (SP) and the officials concerned of the Steel Authority of India Limited (SAIL) seeking a factual report and the action taken in response to the incident, the Ministry of Tribal Affairs said in a statement on Thursday. The RSP is operated by the SAIL.

The incident took place during a protest by the local tribal community against the proposed construction of a railway line by Rourkela Steel Plant, it said.

During the protest, a tribal villager was killed after being run over by an earth-moving machine. Subsequent unrest was also reported in the area, the statement said.

As many as 19 people, including 16 police personnel, were injured in stone-throwing by the agitators, sources said.

Maharashtra Fisheries Development Corporation Ltd.
(Government of Maharashtra undertaking)
Head Office - N.K.M. International House, 3rd Floor, Babubhai M. Chinoi Marg, Mumbai- 400020 | Tel. (022) 35114917 | Email: eemfdc@gmail.com / mfdc73@gmail.com

E-Tender Notice No.: MFDC/Engg./Mirkarwada/01/2025-26

Managing Director of Maharashtra Fisheries Development orporation, Maharashtra State, Mumbai, is inviting E-tender in B-2 form for **evelopment of Allied facilities at Mirkarwada Fishing Harbour Tal & st. Ratnagiri** from the contractors.

The details of tender can be seen and downloaded from web site: **tps://mahatenders.gov.in** The right of acceptance & rejection of any nder is reserved by the Managing Director of Maharashtra Fisheries evelopment Corporation, Mumbai.

nline E-tender vailable period	Date from 24/04/2025 at 10:00 am to Date 01/05/2025 15:00 Hrs. IST
re-Bid Meeting	Date 28/04/2025 at 12:00 Noon
ate of online -tender opening	Date 03/05/2025 at 12:00 Noon (if Possible)

All information regarding E-tender is available on below web site.
https://mahatenders.gov.in
(If there is any change in tender notice same will be displayed on above web site)

Sd/-
Managing Director

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-135/140 Date : 21.04.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स श्री आदिनाथ बल्क कैरियर प्लॉट संख्या 69/2022 (प्लॉट संख्या 69) मय कलस्टर निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं खण्ड़ा (मेसनरी स्टोन) माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **मैसर्स श्री आदिनाथ बल्क कैरियर,** प्लॉट संख्या 69/2022 (प्लॉट संख्या 69), खनन क्षेत्र 1.0 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 1,06,996.00 TPA मय कुल कलस्टर क्षेत्र 16.0 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 18,54,504.00 TPA निकट ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी सेण्डस्टोन एवं खण्ड़ा (मेसनरी स्टोन) माइनिंग प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना बाबत् पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण प्राधिकरण / राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, जयपुर, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. चूंकि, **मैसर्स श्री आदिनाथ बल्क कैरियर,** द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

(i) कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी
(ii) कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला बून्दी
(iii) कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला बून्दी
(iv) ग्राम पंचायत, धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी
(v) उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी
(vi) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
(vii) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
(viii) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर
(ix) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी
(x) कार्यालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला बून्दी

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र क्रमांक 55 दिनांक 18.04.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 30.05.2025 (शुक्रवार)** को **स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम धनेश्वर, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में समय प्रात: 11:00 बजे** उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में भी प्रस्तुत कर सकते है।

भवदीय
(शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., बूंदी

Bandhan Bank
Regional Office: Netaji Marg, Nr. Mithakhali Six Roads, Ellisbridge, Ahmedabad-6. Phone: +91-79-26421671-75

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE